

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची,
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका तथा
कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा।
बंदोबस्त पदाधिकारी,
दुमका, जमशेदपुर एवं राँची।
उपायुक्त,
राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, प0 सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम,
सरायकेला-खरसावाँ, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा एवं लातेहार।
सचिव, राजस्व पर्षद।

राँची, दिनांक- 06-08-2025

विषय :- राज्य योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-19-“वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कार्यालयवार “मजदूरी” इकाई विपत्र कोड-40S20290079619000103 कुल ₹14,32,00,000.00 (रूपये चौदह करोड़ बत्तीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1114/रा0, दिनांक-25.04.2025 के आलोक में निर्गत ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-111, दिनांक-28.04.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में “मजदूरी” इकाई में कुल ₹14,32,00,000.00 (रूपये चौदह करोड़ बत्तीस लाख) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, समाहर्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), बंदोबस्त कार्यालय, परिसदन, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, राजभवन, दुमका एवं मुख्यालय में Outsourcing/Contract के माध्यम से सफाई, सुरक्षा, अधिष्ठापित मशीन-उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/वाहन/वाहन के चालक/अमीन/राजस्व कर्मचारी/लिपिक/गृह रक्षक/से.नि. सैनिक/ सफाईकर्मी/ अनुसेवक आदि की सेवाप्राप्त करने एवं जिला, प्रमण्डल, निदेशालय, राजस्व पर्षद एवं मुख्यालय स्तर पर गठित पी.एम.यू. पर व्यय किये जाने के निमित्त आवंटन दिया जा रहा है।

3. सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से Outsourcing के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2-2 होमगार्ड/सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मी को 3 पालियों में रखा जाएगा। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के समय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हों। सभी अपर समाहर्ता संबंधित उपायुक्त/सैनिक कल्याण निदेशालय से इस निमित्त अनुरोध कर होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करेंगे। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।

4. जिला स्तर पर संविदा पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारी का वेतन भुगतान इस राशि से नियमानुसार किया जाय।

5. राज्य के जिन जिलों में वाह्य स्रोत के माध्यम से चयनित एजेंसी से परिसदन भवन का संचालन किया जा रहा है, उन परिसदन भवन पर होनेवाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा।

कृ०प०उ०

6. उपर्युक्त सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की सेवा Outsourcing के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाए। एजेन्सी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान कार्यालय प्रधान का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
7. जिन कार्यालयों में उपर्युक्त कंडिका-2 में उल्लेखित कर्मियों की आवश्यकता है, वहाँ न्यूनतम आवश्यकतानुसार इसके लिए निर्धारित अर्हता वाले लोगों की सेवा Outsourcing/Contract के माध्यम से निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाय।
8. जिन कार्यालयों में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से एजेन्सी से वाहन प्राप्त करेंगे। इस निमित्त एजेंसी पर होनेवाले व्यय का भुगतान इस योजना से किया जाएगा।
9. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से होगा।
10. जिन कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय से उपरोक्त योजना हेतु राशि आवंटित है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संधारित किया जाएगा।
11. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
12. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।
13. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-338 दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
16. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन



(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक-

50/3110

राँची, दिनांक- 06-08-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड/सभी संबंधित अपर समाहर्ता, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला

कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव



10/राज्य स्कीम आ. -25/2025.....50...../आ.रा., दिनांक-06-08-2025

योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-19-वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि का आवंटन

क्र.	कार्यालय का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व पर्वद	PRJSGS 034	200000
2	राँची	RNCORD 135	13500000
3	खूँटी	KHNLDRK 21	4300000
4	गुमला	GMLLDR 014	11500000
5	लोहरदगा	LOHLDR 006	7200000
6	प0 सिंहभूम (चाईबासा)	SGHDAD 111	20000000
7	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	JSRDAD 074	8600000
8	सरायकेला- खरसावाँ	SKLDAD 083	9300000
9	दुमका	DMKDAC 085	17000000
10	साहेबगंज	SBJLDR 004	15500000
11	पाकुड़	PKRDADA 07	9700000
12	सिमडेगा	SDGLDR 001	8600000
13	जामताड़ा	JMTDAD 006	8500000
14	लातेहार	LTRDAD 002	7500000
15	प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची	RNCDAD 010	200000
16	प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका	DMKDAC 042	200000
17	प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा	SGHDAD 103	200000
18	बंदोबस्त कार्यालय, दुमका	DMKCLR 001	400000
19	बंदोबस्त कार्यालय, जमशेदपुर	JSRLDR 001	400000
20	बंदोबस्त कार्यालय, राँची	RNCLR 010	400000
कुल			143200000

(चौदह करोड़ बत्तीस लाख रुपये मात्र)

Shu.
02/08/25

(चन्द्रशेखर)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
gmv